झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–05 / 2020

1. अनिल उरांव उर्फ अनिल उरांव

2. मणि कुमारी .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता की ओर से : श्री ए0के0 साहनी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : सुश्री अमृता कुमारी, ए0पी0पी0।

04 / 03.02.2020 श्री ए0के0 सहानी, याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और सुश्री अमृता कुमारी, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ताओं को लातेहार थाना काण्ड संख्या 93 वर्ष 2019, तद्नुसार जी0आर0 संख्या 429 वर्ष 2019 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के बेटे का शव बरामद किया गया था। सूचक के भाई और अन्य पर संदेह किया गया है। जांच के दौरान एक संजय सिंह का बयान दर्ज किया गया, जिसने कहा है कि मृतक का याचिकाकर्त्ता सं0 2 के साथ अवैध संबंध था। केस डायरी के पैरा–16 में एक गवाह प्रमोद सिंह ने भी यही बयान

दोहराया है। केस डायरी के पैरा–29 में याचिकाकर्त्ता सं0 1 का स्वीकारोक्ति बयान शामिल है। जबकि पैराग्राफ–30 में याचिकाकर्त्ता सं0 2 का स्वीकारोक्ति बयान है।

स्वीकारोक्ति बयानों से यह प्रतीत होता है कि घटना की जगह पर पहुंचने पर दोनों याचिकाकर्त्ताओं ने मृतक को घटना के उक्त स्थान पर बुलाया था और घटना उसके पहुंचने के पश्चात् हुई।

केस डायरी के पैरा–20 में दिखाई देने वाली कॉल डंप रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि मृतक को याचिकाकर्त्ता संख्या 1 के मोबाइल से बुलाया गया था। समय कम या ज्यादा जो उसने स्वीकारोक्ति बयान में उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता सं0 2 ने उस मोबाइल का उपयोग किया था जो याचिकाकर्त्ता सं0 1 का था। कॉल डंप रिपोर्ट से अगर याचिकाकर्त्ताओं के स्वीकारोक्ति बयान की तुलना की जाए तो यह इंगित करती है कि याचिकाकर्त्ताओं के खिलाफ मृतक को अज्ञात स्थान पर बुलाने और उसके बाद उसकी हत्या करने की मजबूत परिस्थिति है।

याचिकाकर्त्ताओं की सहापराध/मिलीभगत के बावजूद, मैं याचिकाकर्त्ताओं को जमानत देने के पक्ष में नहीं हूँ। याचिकाकर्त्ताओं के जमानत की प्रार्थना को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है।

चूंकि यह याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि आरोप पहले ही तय किया जा चुका है, इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया

जाता है कि वह इस आदेश प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमें को शीघ्र और समाप्त करें।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)